न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 04 / 2020 अपील

उनवान

1. श्री हजारी पिता स्व. उदा माली निवासी रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा 2. जन्ना पिता स्वर्गीय उदा माली निवासी रायला 3. नानूराम पिता स्वर्गीय उदा माली निवासी रायला 4. भूरी पुत्री स्वर्गीय उदा माली, निवासी रायला 5. सोहनी पुत्री स्वर्गीय उदा माली, निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा। —अपीलार्थीगण	**बनाम**	1. श्री कैलाश पिता शंकर लाल बाहेती निवासी रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा 2. राजकुमार पिता शंकर लाल बाहेती 3. सुशील कुमार पिता शंकर लाल बाहेती 4. प्रेम देवी पुत्री शंकर लाल बाहेती 5. गीता देवी पुत्री शंकर लाल बाहेती 6. मन्जु देवी पुत्री शंकर लाल बाहेती सभी निवासियान रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा। —रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामांतरण आदेश नायब तहसीलदार बनेडा आदेश संख्या 4117 दिनांक 22.05.2016।

उपस्थित —

1. अधिवक्ता अपीलार्थीगण — श्री मेहराज अली
2. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स — श्री गणेश लाल जोशी।

निर्णय

दिनांक : 20.10.2021

प्रार्थी की ओर से अपील प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि साबिक आराजी संख्या 500 नये आराजी संख्या 1278 के सम्बन्ध में संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित आराजियात के सम्बन्ध में प्रकरण एसीजेएम मुख्यालय प्रकरण संख्या 15/83 से विभिन्न एसडीएम क्षेत्र में अन्तरित होते हुए बोर्ड तक वादी अपीलार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश पारित हुए जो आज भी मूल वाद राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं मूल वाद राजस्व मण्डल अजमेर में 5498/06 लंबित होकर एसीजेएम का आदेश 20.02.1986 व बोर्ड का आदेश 27.09.1989 अद्यतन होकर उक्त आराजियात पर 1/2 हिस्से के लिये शंकर लाल 1 जनवरी को प्रति वर्ष 750/— रूपये जमा करा रहा है जो तहसील बनेड़ा में 2018 तक जमा होना आया है। ग्राम रायला की साबिक आराजी नम्बर 500 हाल नम्बर 1278 पर तस्दीक नामान्तरकरण रेकार्ड, तथ्यों एवं कब्जेयाबी के विरूद्ध होने से काबिले निरस्त के है। अधीनस्थ नायब तहसीलदार बनेड़ा का आदेश विधि विरूद्ध एवं न्यायालय के आदेशों की अनदेखी और बिना पटवारी के कब्जेयाबी रिपोर्ट के एवं आदेशों के दाखिले के बिना, फोरी कार्यवाही से तस्दीक कर दिया है।

विवादित आराजी साबिक नम्बर 500 गंगाराम पिता हुकमा के नाम दर्ज था जिसको बंदोबस्त विभाग ने बिना किसी कानूनी कार्यवाही के रेकार्ड गलत बना दिया व विवाद उत्पन्न होकर फरदन करदन न्यायालयों में पेंडिंग है। भूमि विवाद ग्रस्त होकर राजस्व मण्डल अजमेर तक लंबित चल रहे हैं। जिसकी भूमि धारक तहसीलदार को पूर्ण जानकारी है तथा वे भी पक्षकार हैं ऐसी स्थिति में भी मातहत अदालत के सम्बन्धित पक्षकारों को बिना सुने मन मकसूद तौर से रेस्पोडेन्टगण को लाभ पहुचाने की गरज से उक्त आदेश दिया जो नैसर्गिक न्याय के व कानून के विरूद्ध है। विवादित आराजी साबिक नम्बर 500 हाल 1278 ग्राम रायला में विरासत से गंगाराम बाद उनके पुत्र स्वर्गीय उदा रेकार्डेड खातेदार विरासत का निपटान किये बगैर, अपीलान्टगण के दादा व पितामह ने कभी शंकर लाल महाजन को विक्रय नहीं की, न ही कब्जा दिया जिसे अपीलान्टगण का उपयोग उपभोग निहित है। तथाकथत आराजियात का विरासत शंकर लाल पुत्र/पुत्रियों को प्राप्त नहीं होते हुए भी सहायक कलक्टर भीलवाड़ा एवं राजस्व मण्डल अजमेर के क्रमशः निर्णय व आदेश दिनांक 20.02.1986 व अंतिम आदेश न्यायालय राजस्व मण्डल का 27.09.1989 का अंकन पेंसिली रोटेशन जमाबंदियों पर अंकित होते हुए भी पटवार हल्का रायला ने कब्जेयाबी या उक्त आदेशों के अंकन को अधीनस्थ नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत न कर मात्र शंकर लाल को लाभ पंहुचाने की गरज से दिया गया है।

आराजी विरासत से शंकर लाल के पुत्र पुत्रियों को प्राप्त नहीं होते हुए भी पुत्र राजकुमार व पुत्रियों प्रेमी, गीता, मंजु ने अपना हक त्याग कैलाश व सुशील के पक्ष में किया व बिना समायोचित स्टाम्प ड्यूटी कार्यवाही के किया है जो काबिले निरस्त है। भूमि विवादग्रस्त के लिये सक्षम न्यायालय के अंतिम निर्णय से पूर्व कोई परिवर्तन करने का अधिकार नायब तहसीलदार को न होते हुए भी अधिकारिता से परे तथाकथित आदेश दिया। साबिक आराजी नम्बर 500 व हाल 1278 विरासत से गंगाराम व उदा के नाम से रेकार्डेड खातेदारी रही है। अतः विरासत अपीलान्टगण के बनती है और तथाकथित न्यायालयों के आदेश से हकत्यागकर्ता व ग्रहिता के पक्ष में उक्त आदेशों का प्रभाव विपरित व लम्बित विवाद होते हुए भी उक्त हकत्याग के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया है जबकि आराजी को अपीलान्टगण के पिता व पितामह ने कभी शंकर लाल को विक्रय नहीं की है और न ही अपने हक को उनको समर्पित किये है। अतः अपीलान्टगण के मौरूसी जायदाद से विरासत बनती है न कि शंकर लाल के वारिसान के। अधीनस्थ नायब तहसीलदार ने हक त्याग के आधार पर अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में न्यायालय के आदेशों के विपरित कब्जेयाबी के सम्बन्ध में पटवारी की तस्दीक के बिना इन्तेकाल फैसल किया। रेस्पोडेन्टगण समस्त का उक्त आराजी पर पूर्व में व आज दिन तक कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश में यह अंकित किया है कि आराजी को (प्रतिवादी संख्या शंकर लाल) रहन, बय मुन्तकील नहीं करेगा व पेड नहीं काटेगा व 750/- रूपये प्रति वर्ष 1 जनवरी को जमा करायेगा। अन्यथा रिसिवर कब्जा ले लेगा। अपना 1/2 हक हिस्सा के लिये 750/- रूपये तहसील में जमा होना आया किन्तु 1278 पर उक्त दाखिला अंकित पेंसिली होते हुए भी रोटेशन से उक्त दाखिला तथाकथित आदेशों के सम्बन्ध में अद्यतन होते हुए भी नायब साहब के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। रेस्पोडेन्टगण एवं राजस्व अधिकारियों ने मिलकर मुगालते से और फिक्सल कार्यवाही मानते हुए नामान्तरणकरण किया है जबकि रेस्पोडेंन्टगण को उक्त फिक्सल कार्यवाही से राईट ऑ रेकार्ड कायम हो रहे हैं जो अपीलान्टगण के लिए लिटिगेशन के करण बढ रहे है जो विधि विरूद्ध है। उपरोक्त आदेश एसीएम कोर्ट व राजस्व मण्डल के आदेश अद्यतन होकर उक्त आदेश जो मूल पत्रावली 5498/06 हरतु वगैरह बनाम बंशी वगैरह के नाम से राजस्व मण्डल में लंबित होकर कायम मुकाम निर्धारण हेतु दिनांक 17.05.2019 नियत है।

कलक्टर
भीलवाड़ा

तथाकथित आराजी पर विरासत गलत अंकन व दाखिले के अभाव में अंकित किया जो आराजी कभी शंकर लाल की नहीं रही है एवं अपीलान्टगण की मौरूसी जायदाद होकर उपयोग–उपभोग एवं 1/2 हिस्से के लिए जो शंकर लाल रेस्पोडेन्टगण के पिता द्वारा जमा होते रहे है जो वर्तमान में जमा होना आया किन्तु जमाबंदी पर उक्त अंकन नहीं है। उक्त रोटेशन से उक्त अंकन नहीं होने से तथा तहसील में जांच करने पर और हासिल जमा कराने के लिए पटवारी के पास जाने पर उक्त इन्तेकाल की जानकारी हुई तथा इसके पश्चात अपीलार्थी ने नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 15.02.2019 व 25.02.2019 को आवेदन किया जिस पर दिनांक 11.03.2019 को नकल प्राप्त हुई। इसलिए होने से जानकारी यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। नामान्तरकरण खोले जाने व नकल प्राप्ति दिनांक 11.03.2019 तक के समय को क्षम्य किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेशों में यह अंकित किया हुआ है कि आराजी को मुन्तकील, रहन, बय नहीं करेगा, पेड़ नहीं काटेगा एवं प्रतिवर्ष 750/– रूपयें 1 जनवरी को प्रतिवादी जमा कराता रहेगा तो रिसिवर कब्जा नहीं लेगा, अन्यथा रिसिवर कब्जा ले लेगा जो आज भी अद्यतन है, पूर्ण आदेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर के नायब तहसीलदार बनेड़ा के नामान्तरकरण संख्या 4117 दिनांकित 22.05.2016 ग्राम रायला की आराजी संख्या साबिक नम्बर 500 हाल नम्बर 1278 पर तस्दीक नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जावें।

बाद जांच प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन मय नकल अपील प्रार्थना पत्र जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बनेडा से रेकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 06 की ओर से अधिवक्ता श्री गणेश लाल जोशी ने अधिकार पत्र पेश किया। रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में लिखित बहस पेश की गयी जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थीगण की ओर से अपनी लिखित बहस में अंकन किया गया कि ग्राम रायला की साबिक आराजी नं. 500 हाल 1278 संयुक्त परिवार की अविभाजित होकर बिना बंटवाड़ा होकर अपीलार्थीगण के दादा स्वर्गीय गंगाराम के नामांकित होकर वक्त मेवाड़ सेटलमेंट से गंगाराम के जीवन पर्यन्त दर्ज रेकार्ड राजस्व में अंकित चली आई और इनके दादा गंगाराम द्वारा कभी वसीयत विक्रय इकरार किसी के पक्ष में नहीं किया। गंगाराम की मृत्यु पश्चात वादी अपीलार्थीगण के पिता उदाजी के नाम से विभिन्न वर्षो की चौसाला जमाबन्दी में बहैसियत खातेदार, उपयोग उपभोग में चली आ रही है। बिना खातेदार द्वारा निष्पादित विक्रय इकरार के व बिना बंटवाड़ा टाईटल हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता एवं उससे बेदखल किया जाना भी संभव नहीं है। विवादित आराजियात कभी विक्रय नहीं की गई और न हीं टाईटल हस्तान्तरित हुआ। रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा अपीलार्थीगण के पिता की अनुपस्थिति एवं अनपढ़ होने का तथा महाजन शंकर लाल सहित परिवार के सदस्यों ने पंचायत में उप सरपंच व वार्ड मेंबर होने का नाजायज लाभ उठाकर जो इन्तकाल फैसल किया है वह पूर्व में निरस्त हो चुका है। वादीगण रेस्पोडेन्ट के पिता स्वर्गीय उदा ने कब्जा सुपुर्द किया जिससे आज भी उदा के वारिसान कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग में चली आ रही है। शंकर लाल व उसके वारिसगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य नहीं होकर अजनबी है।

संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित आराजी, बिना बंटवाड़ा शंकर लाल व इसके वारिसान जो वर्तमान वारिसान कहे जा रहे है को हिन्दु परिवार की सम्पत्ति में कोई हक व विधिक अधिकार वादीगण रेस्पोडेन्टगण से श्रेष्ठतर नहीं होकर अमान्य है। वास्तविक तथ्यों, कब्जा, उपयोग–उपभोग व बिना मौका देखे नामांतरकरण की इस प्रक्रिया को एक फिस्कल कार्यवाही माना जाता है जो की अव्यावहारिक प्रक्रिया है एवं जब नामांकित उक्त फिक्सल कार्यवाही से जमाबन्दी में नामांकित हो जाते है तो कानूनी जामा ''राईट ऑफ रेकार्ड'' का पहना दिया जाता है जिससे पुलिस, राजस्व अधिकारी, पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की कार्यवाही इसी फिस्कल कार्यवाही से बाउण्ड हो जाती है फिर प्रोपर्टी नष्ट करे, बेचे, बक्सीस करे, प्लोटिंग कर खूर्द बूर्द करे क्योंकि समस्त कार्यवाही इसी पर आधारित हो जाती है कि वर्तमान में रेकार्ड में क्या दर्ज है।

वर्तमान जमाबन्दी में पूर्व छः रेस्पोडेन्टगण का नाम लिखा फिर इन्होने रिलीज डीड एवं सेल डीड के द्वारा वर्तमान में दो व्यक्तियों का नाम अंकित कर दिया जैसा कि वर्तमान जमाबन्दी में अंकित है। सम्पत्ति हम अपीलार्थीगण ही है जिसको हमारे पिता एवं उदा द्वारा अन्तरित नहीं की गई वैसे भी सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम द्वारा दौराने वाद कोई सम्पत्ति अन्तरित नहीं की जा सकती फिर भी रेस्पोडेन्टगण द्वारा स्टेट बैंक, शाखा रायला को रहन रखी गई। जिसका दाखला जमाबन्दी पर लिखा गया प्रस्तुत है। वर्तमान में इस भूमि पर सिविल न्यायालय से स्थगन लिया गया। मा0 राजस्व मण्डल, राजस्व अधिनस्थ न्यायालय अथवा सिविल न्यायालय द्वारा किसी भी तरह विधिसम्मत आदेश अपीलार्थीगण के हक अधिकारों एवं सम्पत्ति व जनधन हानि से विधिक संरक्षण मिलता तो रेस्पोडेन्टगण प्रभावशाली एवं धनबल से राजस्व अधिकारियों को प्रभावित कर उन आदेशों का दाखला जमाबन्दी पर नहीं लगने देते जिससे सम्पत्ति नष्टभ्रष्ट एवं अन्तरित हो रही है। जैसा कि सम्पत्ति हमारी है एवं सेल डीड एवं रिलीज डीड पर इनको अन्तरण का अधिकार कैसे भिन्न हो सकता है।

रेस्पोडेन्टगणों द्वारा विधि विरूद्ध हमारी सम्पत्ति से लाभान्वित कर राजस्व मंडल के आदेशों की धज्जियां उडाई जा रही है। हमने जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के पास अनेकानेक बार वर्तमान नम्बर पर मान्य न्यायालयों के आदेशों की पालना परिवेदनाएं दी तथा न्यायालयों के निर्णय आदेशों के अंकन के लिए प्रार्थना परिवेदनाएं, निवेदन करने पर आज दिवस तक कोई अंकन नहीं होने से सम्पत्ति खुर्दबुर्द, नाजायज लाभ, राजकीय, फलों, पेडों से प्राप्त लाभ का बंटवारा होकर हास हो रहा है। जमाबन्दी में गलत तरतीब कर दिये गये नामों से सरकारी सहायता अनुदान रेस्पोडेन्टगण ने प्राप्त किया जिसे पुनः जमा कराया जावें। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी आदेश में प्रतिवादी को 1/2 हिस्से के कब्जे में रहने के लिए 750 रूपये जमा कराने के आदेश दिये किन्तु वर्ष 1992 से 1994 तक कोई राशि रेस्पोडेन्टगण द्वारा जमा नहीं की गई। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नायब तहसीलदार बनेडा के नामान्तरकरण संख्या 4117 दिनांकित 22.05.2016 से ग्राम रायला की आराजी संख्या साबिक नम्बर 500 हाल नम्बर 1278 पर तस्दीक नामांतरकरण को निरस्त फरमाया जावें।

पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र व लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजियात रहन रखी गयी थी न कि विक्रय की गयी फिर भी दौराने सेटलमेंट गलत तरीके से रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज रिकॉर्ड कर दी गयी। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर नायब तहसीलदार बनेडा के नामान्तरकरण संख्या 4117 दिनांकित 22.05.2016 से ग्राम रायला की आराजी संख्या साबिक नम्बर 500 हाल नम्बर 1278 पर तस्दीक नामांतरकरण को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नामांतरकरण खोला गया है वह विधिवत खोला गया है। जिस आराजियात का नामांतरकरण खोला गया है वह हम रेस्पोडेन्ट्स के परिजन द्वारा खरीदी जाकर उसे रजिस्टर्ड करवाया गया। उक्त विवादित आराजियात का रजिस्टर्ड हकत्याग हुआ है जिसका कि नामांतरकरण संख्या 4117 दिनांक 22.05.2016 को तहसीलदार बनेडा द्वारा खोला गया। उक्त विवादित आराजियात से पेड़ नहीं काटने के सबंध में माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा से स्थगन आदेश दिया हुआ है। साथ ही मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में भी एक निगरानी अंतर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में मा0 न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि विवादित आराजियात पर हम रेस्पोडेन्ट्स का 1/2 हिस्सा है एवं आदेश दिया गया कि प्रति वर्ष 750/- रूपये केस सिक्योरिटी के रूप में न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा (मुख्यालय) में जमा कराता रहे तो दौराने दावा रिसीवर कब्जा नहीं लेगा एवं यदि राशि जमा नहीं करायी जावे तो रिसीवर कब्जा ले लेगा। रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भीमाबाई महादेव बनाम आर्थर इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कम्पनी के प्रकरण में पारित निर्णय की प्रति पेश की गई।

कलक्टर
भीलवाड़ा

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद मनन एवं अवलोकन जाहिर आया कि जमाबन्दी मेवाड़ सेटलमेण्ट डिपार्टमेण्ट [illegible] अनुसार ग्राम रायला तहसील बनेड़ा में स्थित साबिक आराजी नम्बर 500 हाल 1278 में खातेदार गंगाराम पुत्र हुकमा दर्ज रिकार्ड था। गंगाराम की मृत्यु उपरांत विरासत से गंगाराम के बाद उनके विरासत का नामान्तरकरण राजस्व विभाग द्वारा खोला गया या नही? रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। अपीलार्थीगण का अपील मेमों व लिखित बहस में अंकन है कि प्रश्नगत आराजी विक्रेतागण को रहन रखी गयी थी, न की विक्रय की गयी, किन्तु पत्रावली पर रहन की गयी भूमि का कोई दस्तावेज पेश नहीं हैं। रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रश्नगत आराजियात का जो नामांतरकरण खोला गया हैं, वह रेस्पोडेन्ट्स के परिजन द्वारा खरीदी जाकर उसे रजिस्टर्ड करवाया गया। उक्त विवादित आराजियात का रजिस्टर्ड हकत्याग हुआ है, किन्तु रेस्पोडेण्टगण ने क्रय की गयी उक्त आराजी एवं उसका रजिस्टर्ड कराये जाने संबंधित कोई दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत नही किये है, जिससे जाहिर हो कि प्रश्नगत आराजी रेस्पोडेण्टगण ने जरिये रजिस्टर्ड क्रय की है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी आदेश में प्रतिवादी को 1/2 हिस्से के कब्जे में रहने के लिए 750/- रूपये प्रतिवर्ष जमा कराने के आदेश दिये गये, किन्तु रेस्पोडेण्टगण द्वारा वर्तमान में निर्णय की पालना में उक्त 750/-रूपये की राशि जमा करायी जा रही है, या नहीं ? इस बाबत् कोई दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत नही हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर पुनः समस्त दस्तावेजात का परीक्षण कर, पक्षकारान की समुचित सुनवायी की जाकर अजसिरे निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। अतएव –

आदेश

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 आंशिक स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरकरण संख्या 4117 दिनांकित 22.05.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बनेडा को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में समस्त दस्तावेजात की पुनः जांच कर, पक्षकारों की सुनवायी कर अजसिरे निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बनेडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा